तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./4026/2006/भीलवाडा</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम द्वारका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

--

आदेश

दिनांकः– 08.12.2025

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा ने पत्रावली संख्या राजस्व विविध 26/05 में पारित अपने आदेश दिनांक 08–05–2006 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, शाहपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष डी0बी0 सिविल जनहित याचिका 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के आदेश दिनांक 02–08–2004 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सणगारी, तहसील शाहपुरा की साबिक आराजी नम्बर 298 रकबा 1.18 बीघा किस्म नाडी जमाबंदी सम्वत् 2010 के अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त वर्णित बिलानाम आराजी भू–भाग से 0.03 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 10 दिनांक 06–05–1993 से अभिलिखित किया गया। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त साबिक आराजी के नवीन खसरा नम्बर 374/441 रकबा 0.03 है0 कायम किये गये। गत रिकार्ड में उक्त भू भाग बिलानाम नाडी दर्ज रिकार्ड था और इस प्रकार की भूमि पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार उद्धभूत नहीं किये जा सकते है, किन्तु वर्तमान अभिलेख में उक्त भू भाग विपक्षी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4026/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम द्वारका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम अभिलिखित है। अतः उक्त भू भाग को विपक्षी के खाते से हटाया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रा0 पत्र पेश किया। 3. न्यायालय जिला कलक्टर पाली ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 08-05-2006 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अभिषंशा हेतु प्रेषित किया है। 4. विपक्षीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किये 45 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आवंटन/हस्तांतरण/नामांतकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नाडी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। 6. हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./4026/2006/भीलवाडा</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम द्वारका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2010–2013 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सणगारी की खाता संख्या नयी 1 की आराजी खसरा संख्या 298 रकबा 1.18 बीघा भूमि किस्म नाडी दर्ज है। नकल नामांतरकरण संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2039–42 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सणगारी के खाता संख्या नया 2 की खसरा संख्या 298/3 रकबा 1.12 बीघा भूमि किस्म नाडी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 298 मि0 के हाल खसरा नम्बर 374/441 रकबा 0.03 है0 कायम हुए है। नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2060–63 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सणगारी में खाता संख्या नयी 120 की खसरा संख्या 374/441 रकबा 0.03 है0 भूमि किस्म गै0मु0 बाडा द्वारका पि0 देवकरण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नाडी दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। 7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4026/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम द्वारका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

8. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9. प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नाडी की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4026/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम द्वारका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	must be amended accordingly. 10. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। 11– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम सणगारी, तहसील शाहपुरा में अंकित साबिक आराजी नम्बर 298 रकबा 1.18 बीघा जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल काश्त नाडी के रूप में अभिलिखित थी, इस खसरा नम्बर के बंदोबस्त के दौरान वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 374/441 रकबा 0.03 है0 नाडी की भूमि को विपक्षी के खाते से हटाया जाकर पुनः राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। 12– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	